



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1084) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2026

एस0ओ0 214 दिनांक 8 सितम्बर 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 112 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या- एस0ओ0 91, दिनांक 19 मार्च, 2026 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-283, दिनांक-19 मार्च 2026 द्वारा अधिसूचित किया गया था, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले लोपित कार्यो को छोड़कर, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, तारीख 31 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तारीख तक, यथास्थिति, अपील या आवेदन, इस अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकरण के समक्ष उन सभी मामलों, जिनमें आदेश के खिलाफ अपील किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में दायर किया जा सकता है, जिन आदेशों को,—

- (i) दिनांक 01 मई, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है, और दिनांक 01 मई, 2026 को या उसके बाद सूचित आदेशों के संबंध में सभी अपीलों धारा-112 की उपधारा (1) में दिए गए अनुसार जिस तारीख को सूचित किया जाता है, उस तारीख से तीन माह के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेंगी,
- (ii) दिनांक 01 फरवरी, 2026 से पहले पारित किया जाता है, और 01 फरवरी, 2026 को या उसके बाद पारित आदेशों के संबंध में सभी आवेदन धारा-112 की उप-धारा (3) में दिए गए अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस तारीख से छः महीने के भीतर दायर किए जा सकेंगे जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2026 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

{(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-(खंड-22)3478)}

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

7 सितम्बर 2026

एसओ. 214 दिनांक 8 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

{(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-(खंड-22)3478)}

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 7th September 2026

S.O. 214, dated The 8th September 2026— In exercise of the powers conferred by sub section (1) read with sub-section (3) of section 112 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12, 2017) and in supersession of Commercial Taxes Department notification No. S.O. 91, dated 19th March, 2026, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 283, dated 19th March, 2026, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the council, hereby notifies the 31st day of July, 2026, as the date upto which appeal or application, as the case may be, may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against,-

- (i) is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of May, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st May, 2026, may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (1) of section 112 within three months from the date on which such order is communicated;
 - (ii) is passed before the 1st day of February, 2026, and all applications in respect of orders passed on or after 1st February, 2026 may be filed before the appellate Tribunal as provided in sub-section (3) of section 112 within six months from the date on which the said order has been passed.
2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of June 2026.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-22)3478)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1084-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>